

एक बीघा जमीन पर बोये हुए 1.5 लाख अफीम के पौधे जब्त, दो गिरफ्तार

इन पौधों से 29 किलो अफीम का दूध एवं 212 किलो डोडा-पोस्त तैयार होना था

जालोर, (कासं)। जालोर जिले के बिशनगढ़ पुलिस ने शनिवार को अवैध अफीम की खेती के करीब एक बीघा जमीन पर बोये हुए एक लाख पांच हजार अफीम के पौधे जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स एवं नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो ने बताया कि इन पौधों से 29 किलो अफीम का दूध एवं 212 किलो डोडा-पोस्त तैयार होना था। अफीम के पौधों से प्राप्त होने वाले अफीम के दूध एवं डोडा-पोस्त की अनुमानित कीमत एक करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार रुपये आंकी गई है।

महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार जोधपुर, रेंज जोधपुर के निदेशानुसार रेंज में अवैध गतिविधियों मादक पदार्थ शराब तस्करी अवैध बजरी खनन माफियाओं वांछित अपराधियों के विरुद्ध भीकाल अभियान के तहत जालोर पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निदेशन में बिशनगढ़ थानाधिकारी निम्बसिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर् की ईतला पर कार्रवाई करते हुए सरहद ऐलाना (गोगामाड) में जगदीश उर्फ जगताराम व सकाराम द्वारा काशतसुदा



बिशनगढ़ पुलिस ने अफीम के पौधे जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

खेत में करीब 1 बीघा जमीन पर अवैध अफीम की खेती करते हुए पाये जाने पर अवैध अफीम के एक लाख पांच हजार हरे पौधे बरामद किये। जिनको 150 जूट की बोियों में भरा जाकर वजन किया गया तो कुल वजन 3153 किलोग्राम जूट की बोरी सहित होना पाया गया। वहीं एनडीपीएस एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान जारी है। पुलिस ने जगदीश उर्फ जगताराम

पुत्र छगनाराम लौहरा निवासी काठाडी पीएस सिवाना जिला बालोतरा व सकाराम पुत्र रूपाराम भील निवासी भागवा पीएस सिवाना जिला बालोतरा को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ये अफीम की खेती जिला चित्तौड़गढ़ के पास मंगलवाड गांव जाकर सिखना बताया तथा वहां जाकर किस तरह से खेती की देखभाल करते हैं उसकी पूरी

जानकारी हासिल की गई। अभियुक्त उक्त अफीम के बीज गांव मंगलवाडा से करीब 3 माह पूर्व लेकर आया तथा उसके पश्चात यू-ट्यूब सोशल मीडिया पर खेती कैसे करते हैं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाकर अपने खेत में अण्डों की फसल के बीच में अफीम की खेती की गई। ताकि किसी व्यक्ति को इस फसल की भनक नहीं लगे। अभियुक्त द्वारा सरहद ऐलाना

■ अफीम के पौधों से प्राप्त होने वाले अफीम के दूध एवं डोडा-पोस्त की अनुमानित कीमत एक करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार रुपये आंकी गई

क्षेत्र में अफीम की खेती कर खेती से प्राप्त होने वाले अफीम का दूध एवं डोडा-पोस्त को आस पास के क्षेत्र में शार्दियों, समारोह, इत्यादि सभाओं में बेचना तथा उससे प्राप्त होने वाली आय से अन्य जगह पर जमीन खरीद कर अपने अफीम के व्यवसाय को मजबूत बनाया था।

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स एवं नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो के श्रेत्रीय डायरेक्ट से वार्ता करने पर उनके द्वारा बताया गया कि एक एकड़ जमीन में 90 हजार अफीम के पौधे बोने का प्रावधान है जिसमें से 25 किलोग्राम अफीम का दूध निकलता है तथा 182 किलोग्राम डोडा पोस्त निकलता है।

कैंपर से टकराई कार, चार घायल, हालत गंभीर

गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को बीकानेर रेफर किया, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर लौट रहे थे

बीकानेर, (निसं)। प्रयागराज महाकुंभ में पुण्य स्नान कर लौट रहे मंडी 465 आरडी के श्रद्धालु सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए रतनगढ़ के संकटमोचन बालाजी मंदिर के पास कार और कैंपर की आमने-सामने की टक्कर में नौ लोग घायल हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को रतनगढ़ और चूरू के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को बीकानेर रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार, छत्तरगढ़ तहसील के मंडी 465 आरडी का एक परिवार प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर अपने घर लौट रहा था। रतनगढ़ से पत्नी

होते हुए छत्तरगढ़ जाते समय संकटमोचन बालाजी मंदिर के पास उनकी कार सामने से आ रही कैंपर गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार सभी नौ लोग घायल हो गए।

हादसे की सूचना मिलते ही रतनगढ़ थाने के एएसआई रामनिवास मौके पर पहुंचे। 108 एंबुलेंस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सरकारी अस्पताल रतनगढ़ ले जाया गया। घायलों में छत्तरगढ़ निवासी शेराराम (27) गंभीर घायल है। वहीं सोनू देवी (22), हनुमान (27), अखिलेश (4) की स्थिति भी नाजुक बनी हुई

है। केशर देवी (65), लक्ष्मा (40), सोनी देवी (25) गाजसर, चूरू निवासी, मुकेश (35), राणाराम (49) की भी भर्ती करवाया गया है। घायलों में शेराराम, अखिलेश, केशर देवी और लक्ष्मा की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बीकानेर स्थित पीबीएम हॉस्पिटल रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का इलाज रतनगढ़ के जालान अस्पताल में जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद कैंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने केस को खत्म किया

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली ने करीब 23 साल से पेंडिंग अपराधिक केस को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कोर्ट आने वालों को ही नहीं, इससे सभी को राहत मिलेगी। जब कोई मामला न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का प्रतीक बन जाए तो अदालत केवल उन अभियुक्तों को ही नहीं, बल्कि उन सभी को राहत देने के लिए सक्षम है, जिन पर मामला पेंडिंग है, भले ही उन्होंने अदालत का रुख न किया हो।

जानकारी के अनुसार साल 2001 में हनुमानगढ़ के भादरा संरक्षित वन क्षेत्र से बिना वन विभाग की अनुमति के पेड़ काटकर रोड बनाने का मामला दर्ज हुआ था। पेड़ों को काट सड़क बनाने पर ठेकेदार सहित 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। जब ने आदेश में लिखा कि इस मामले में मुकदमे की शुरुआत की बात तो दूर, अब तक बिना किसी प्रगति के अपराधिक शिकायत लंबे समय तक पेंडिंग रहना निश्चित रूप से अभियुक्त के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। राज्य सरकार ने अपने अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय का ध्यान क्यों नहीं रखा। अगर वन विभाग या राज्य के किसी भी अंग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण के लिए पेड़ों को न काटने की सूचना दी गई होती तो स्थिति अलग हो सकती थी। इस मामले में दोषी कौन है, यह भी अभी तक पता नहीं चल पाया

■ हाईकोर्ट ने कहा- मुकदमे की लंबी अवधि जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है

है, जबकि इस बात को 23 साल से अधिक समय बीत चुके हैं। तीस अगस्त 2002 को क्षेत्रीय वन अधिकारी ने भादरा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 17 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया कि अमर सिंह केनाल से निकलने वाली और महाराणा गांव तक फैली महाराणा डिस्ट्रीब्यूटरी, संरक्षित वन क्षेत्र से होकर गुजरती है। जून 2001 में पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग को सूचित कि बिना गांव जनाना से महाराणा तक सड़क बनाना तय किया। जुलाई-अगस्त 2001 के दौरान बिना वन विभाग से अनुमति लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा नियुक्त ठेकेदारों ने महाराणा डिस्ट्रीब्यूटरी के तटबंधों के किनारे पेड़ों को मजदूरों द्वारा लगाकर काट दिया, जो कि कानूनी रूप से संरक्षित थे। चूंकि पेड़ों को काटने का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था और न ही काटने या हटाने वालों की पहचान ही हो सकी, इसलिए वन विभाग ने मजदूरों, ठेकेदारों, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आरोपी मान कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी थी। 17

व्यक्तियों पर राजस्थान अधिनियम, 1953 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। इस संदर्भ में कुल 17 व्यक्तियों में से सात को मौत हो चुकी है जबकि बाकी रहे व्यक्तियों में से हरियाणा के हिसार में सेक्टर 13 पी निवासी हरिसिंह पुत्र सुरजभान और बीकानेर ल्यागी चाटिका निवासी अशोक कुमार खन्ना पुत्र एचएल खन्ना ने सीनियर वकील विनीत कुमार जैन और प्रवीण व्यास के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें हाईकोर्ट ने पाया कि इन मुकदमों में न तो सुनवाई की कोई सार्थक प्रगति हुई, न ही किसी आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य ही उपलब्ध थे।

न्यायालय ने कहा कि अभियुक्तों का 23 वर्षों तक मुकदमे का सामना करना, मानसिक प्रताड़ना झेलना और बिना किसी ठोस आधार के न्यायालय के चक्कर लगाना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकदमे की लंबी अवधि और साक्ष्यों की अनुपलब्धता के कारण अभियुक्तों को दोषी ठहराने की कोई वास्तविक संभावना नहीं रह गई थी। तब कोर्ट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे आपराधिक मामले को ही समाप्त कर दिया। इससे उन लोगों को भी राहत मिली है, जो अदालत तक पहुंचे ही नहीं थे।

शादी से लौट रहे युवकों को बाइक ने मारी टक्कर, एक की मौत

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ीनगर थाना क्षेत्र के ढाणी भरगडान के पास देर रात को शादी से लौट रहे दो युवकों को बाइक ने टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया है।

राजोता सरपंच गोपीराम व रामनिवास लादी ने बताया कि ढाणी लगरिया वाली तन चिरानी निवासी नवीन (13) पुत्र दीपक कुमार, निखिल (18) पुत्र धुडाराम रात को ढाणी भरगडान में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। वापस आते समय वह सड़क किनारे पैदल चल रहे थे तो पिछे से आ रही बाइक ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए 108 एंबुलेंस के पायलट सतीश मा व ईएमटी प्रकाश कुमार ने सिंचाना के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया। हादसे में घायल नवीन कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे घायल निखिल को पहले झुंझुं तथा बाद में जयपुर रेफर किया गया है।

■ दूसरे घायल को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया

■ पोस्टमार्टम नहीं करने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया

की गहनता से जानकारी जुटाई जा रही है। परिजनों की ओर से दी जाने वाली रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राजकीय उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों को तीन घंटे इंतजार करना पड़ा। इस दौरान मृतक के परिजनों ने हंगामा कर दिया। रामनिवास लादी ने बताया कि रात को सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद सुबह परिजन व पुलिस अस्पताल में पहुंच गए थे। इस दौरान मेडिकल ज्यूरिस्ट 11 बजे तक दोषी नहीं देख रहे थे। इसके बाद वह कमरा बंद कर चले गए। जब परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए कहा तो डॉक्टर एक दूसरे पर पोस्टमार्टम करने की जिम्मेदारी डालते रहे। परिजनों के हंगामे के बाद पोस्टमार्टम किया गया। अस्पताल में आए मरीजों ने बताया कि अस्पताल में व्यवस्था सही नहीं होने से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में व्यवस्था सुधारने को लेकर ग्रामीणों की ओर से प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगा चुके हैं। अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है।

देवर ने भाभी सहित युवक को गोली मारी

जुरहरा/डींग, (निसं)। जुरहरा थाना क्षेत्र के ग्राम बमनवाडी में देवर के द्वारा अपनी ही भाभी व एक अन्य युवक को गोली मार देने का मामला सामने आया है। गोली लगने से जहां युवक की मौत हो गई है। वहीं महिला की हालत गंभीर होने के कारण जुरहरा के राजकीय किरोड़ीलाल स्वरूपकार अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मृतक युवक के शव को शनिवार की सुबह जुरहरा थाना पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। घटना के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है।

मृतक युवक के भाई गुलाबसिंह पुत्र मुखार्य सिंह रायसिंह निवासी ग्राम बमनवाडी थाना जुरहरा ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कराया है। थाने में दर्ज कराए गए मामले में गुलाबसिंह ने बताया है कि उसका भाई मंजीत सिंह गांव के ही सतपाल सिंह, गुणविंदर सिंह व गुरजीत

सिंह के साथ शुरुवार की रात्रि समय करीब सात बजे जंगल में शौच करने के लिए गया था जहां अचानक पीछे से आए पूरन सिंह पुत्र दलीपसिंह रायसिंह निवासी ग्राम बमनवाडी थाना जुरहरा ने मंजीत सिंह को गोली मार दी और इसके बाद पूरन सिंह ने अपने घर जाकर अपनी भाभी परमजीत कौर पत्नी जरनैल सिंह को भी गोली मार दी। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची जुरहरा थाना पुलिस ने दोनों घायलों को जुरहरा के राजकीय किरोड़ीलाल स्वरूपकार अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने मंजीत सिंह को मृत घोषित कर दिया वहीं परमजीत कौर की हालत गंभीर होने कारण उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। शनिवार की सुबह जुरहरा पुलिस की मौजूदगी में मृतक मंजीत सिंह के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है।

अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर-ट्राली जब्त की

निवाई, (निसं)। उप वन संरक्षक मारिया साईनए के निदेशन में वन विभाग के गश्ती दल ने गैर वानिकी कार्यों की रोकथाम के चलते एक अवैध चेजा पत्थर से भरे हुए ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी धारीलाल बैरवा के नेतृत्व में गश्ती दल प्रभारी मोहनलाल मीणा, वन रक्षक कमलेश मीणा, रिंकू चौधरी, धोली मीणा, बदीराल मीणा, गोरीशंकर यादव व राजेशकुमार नायक ने वन क्षेत्र बस्सी नाका के अधीन से अवैध चेजा पत्थर से भरे हुए ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त कर संजय वन में खड़ा करवा दिया।

मंदिर में चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी पुलिस ने रोजड़ा गांव के मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नशा करने के लिए रूपए नहीं होने पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। थानाधिकारी गोपाललाल जांगिड़ ने बताया कि 13 फरवरी को रोजड़ा निवासी मोतीलाल ने रिपोर्ट दी कि वह गांव के ठाकुर जी मंदिर में पुजारी है। जब वह मंदिर में पूजा करने के लिए गया तो देखा कि मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ है। इस दौरान जब उन्होंने अंदर जाकर

मंदिर में अष्ट धातु की मूर्ति, पीतल व कांसे के बर्तन गायब मिले। मंदिर में चोरी होने की सूचना पर चैकडॉ ग्राामीण एकत्रित हो गए तथा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर आवश्यक जानकारी जुटाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी शरद चौधरी ने एक विशेष टीम का गठन कर चोरी की वारदात करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पुछताछ की तो सामने आया कि मंदिर में चोरी विजेंद्र

उर्फ भोलाराम पुत्र ओमप्रकाश गुर्जर ने की है, जिस पर पुलिस ने गांव में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नशा करने का आदी है। उसने रूपए खत्म होने पर नशा करने के लिए चोरी की वारदात की। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मंदिर से चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस टीम ने थानाधिकारी गोपाललाल जांगिड़, एएसआई बनवारीलाल यादव, एचसी दिनेश कुमार, कोस्टेबल राकेश कुमार मोडसरा आदि शामिल थे।

शाहपुरा जिला बचाओ आंदोलन जारी

शाहपुरा, (निसं)। जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा उपखंड कार्यालय शाहपुरा के बाहर क्रमिक अनशन धरने पर छिपा मुस्लिम समाज के सदस्य सदर हाजी शामसुद्दीन भाटी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण रैली निकालते हुए नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर शाहपुरा जिले को समाप्त करने के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से शाहपुरा को वापस जिले का दर्जा देने की मांग की। छिपा मुस्लिम समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम शाहपुरा जिला बहाल करने का ज्ञापन दिया।

गढ़ेपान सरकारी स्कूल के बच्चों की तबीयत बिगड़ी

कोटा, (निसं)। जिले के सीमलिया थाना इलाके के गढ़ेपान स्थित सरकारी स्कूल में कुछ छात्र-छात्राओं के बेहोश होने का मामला सामने आया है। उनके परिजनों का आरोप है कि पास स्थित सीएफसीएल फेक्ट्री से गैस रिसाव हुआ है, जिसके कारण स्टूडेंट बेहोश हुए हैं। घटना की सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया। बेहोश हुए बच्चों को सीएफसीएल के चिकित्सालय में ले जाया गया जहां पर उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। प्रारंभिक तौर पर अधिकारियों ने गैस रिसाव को पुष्टि नहीं की है। कोटा जिला कलेक्टर डॉ. खिंदर गोस्वामी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। मौके पर पॉयसोन कंट्रोल बोर्ड की टीम को बुलाया। टीम द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। मामले में जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि क्या घटनाक्रम रहा है। चिकित्सकों ने

■ परिजनों का आरोप है कि पास स्थित सीएफसीएल फेक्ट्री से गैस रिसाव हुआ है, जिसके कारण स्टूडेंट बेहोश हुए हैं

■ बेहोश बच्चों को सीएफसीएल के चिकित्सालय ले जाया गया जहां पर उन्हें उपचार दिया

■ प्रारंभिक तौर पर प्रशासन के अधिकारियों ने गैस रिसाव की पुष्टि नहीं की है

से उन्हें रवाना कर दिया और जेके लॉन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी स्थिति सामान्य ही है। मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली से ही कोटा के अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके बाद जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी, ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर, सीएम्एचओ डॉ. नरेंद्र नागर, बीसीएमएचओ डॉ. राजेश सांभर मौके पर पहुंचे। पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में जानकारी ली है। घटना के कुछ देर बाद ही स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर भी पहुंचे।

मालपुरा, (निसं)। मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र के लाम्बाहरिसिंह कस्बे से नौ फरवरी की शाम घर से निकली नाबालिग स्कूल छात्रा प्रिया जांगिड़ का बारह फरवरी को संदिग्ध हालत में शव मिलने पर पिता की ओर से नामजद मामला दर्ज करवाने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे गुस्साये जांगिड़ समाज के सैकड़ों महिला-पुरुषों ने शनिवार को सड़कों पर उतर जयपुर-भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर जाम लगा पुलिस व प्रशासन मुर्दाबाद क लगाये नारे। सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

शनिवार को छात्रा हत्याकाण्ड मामले को लेकर गांधी पार्क में जांगिड़ समाज की बैठक आयोजित हुई। बड़ी संख्या में मौजूद समाज के महिला-पुरुषों ने नाबालिग छात्रा व उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिये सड़कों पर उतर प्रशासन पर दबाव बनाया का निर्णय लेकर गांधी पार्क से आक्रोश जताते हुये कोर्ट परिसर पहुंचे। शनिवार का कार्यक्रम अयवकाश होने के चलते मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साये लोगो ने तकरीबन आधा घंटे तक कोर्ट परिसर में धरना दिया। ज्ञापन लेने के लिये किसी भी सक्षम अधिकारी



लाम्बाहरिसिंह में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में जांगिड़ समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया।

के नहीं आने पर आक्रोशित लोगों ने जयपुर-भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया।

जाम की सूचना पर पहुंचे थानाधिकारी चेनाराम बेडा ने जाम लगा रहे जांगिड़ समाज के लोगों से जाम लगाने के निर्णय को राजकार्य में बाधा बताते हुये मुकदमे दर्ज करने की चेतावनी दी तो लोगों का गुस्सा उग्र हो गया। लोगों ने जमकर प्रशासन के

खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यहां तक की प्रदर्शनकारियों ने पुलिस व प्रशासन ने जानबूझकर नामजद आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने जैसे आरोप लगा मौके पर एसडीएम को बुलाने की मांग पर अड़ गये। थानाधिकारी की सूचना उर्फ गणेश दोषी है। आरोपी लाम्बाहरिसिंह कस्बे में रॉयल कैफे के नाम से दुकान चलाता है जो कि आये दिन छात्रा को प्रताड़ित कर मोबाइल

पचेवर मंडल अध्यक्ष धर्मवीर जांगिड़ सहित समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अवगत करवाया कि नाबालिग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में डेठाणी निवासी सी.आर. उर्फ गणेश दोषी है। आरोपी लाम्बाहरिसिंह कस्बे में रॉयल कैफे के नाम से दुकान चलाता है जो कि आये दिन छात्रा को प्रताड़ित कर मोबाइल

■ जांगिड़ समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर स्टेट हाईवे जाम किया

■ घटना के तीन दिन बाद भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं से आक्रोश

पर धमकियां देता था। नौ फरवरी को नाबालिग छात्रा को बहना-फुसलाकर ले गया, जिसका तीन दिन बाद गांव के ही सार्वजनिक कुण्ड में शव मिलने पर पिता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मामले की सौबीआई जांच करवाने तथा जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर समाज उग्र आंदोलन करने के निर्णय से अवगत करवा प्रशासन को चेतावनी दी। शनिवार को मृतक छात्रा के घर पहुंचे थानाधिकारी राजकुमार ने बताया कि परिजनों की सूचना पर रिपोर्ट दर्ज कर विधि संगत कार्यवाही व मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जल्द मामले का होगा खुलासा।